

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./ /2018/ 161

दिनांक : 5.3.18

आदेश

अवमानना संख्या 1438/2016 अन्तर्गत एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 10692/2016 महेन्द्र कुमार मेहरा बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 09.08.2016 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/प्रयो.सहा./सीधी भर्ती-2013/2016/818 दिनांक 16.06.2016 के द्वारा श्री महेन्द्र कुमार मेहरा पुत्र श्री छोटू लाल को प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई नियुक्ति को प्रत्याहारित किया गया है, के प्रभाव एवं क्रियान्वयन को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। परिणाम स्वरूप श्री महेन्द्र कुमार मेहरा पुत्र श्री छोटू लाल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के अधीन प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पद पर कार्यग्रहण कराने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। यह आदेश उक्त वर्णित रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अध्वधीन होगा।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर।

दिनांक : 5.3.18

क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./ /2018/ 161

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, (ग्रुप-3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
3. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाअधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक(प्रशा0), मुख्यालय एवं समन्वयक।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-कोटा।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा।
8. प्रभारी अधिकारी, न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
10. श्री महेन्द्र कुमार मेहरा पुत्र श्री छोटू लाल निवासी- 4-सी-6 महावीर नगर विस्तार योजना, सुभाष सर्किल, कोटा राज0
11. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर।